कार्यालय
वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश
(मुख्त्यारगंज रेल्वे फाटक के पास सिबिल लाईन सतना)

E-mail-dfosatna@mp.gov.in Phone- 07672-223355

क्रमांक /मा0चि0/ 10601 सतना, दिनांक /6/11/2019

प्रति,

कलेक्टर
जिला सतना

विषय– सतना बांणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु वन भूमि के एवज में राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण एवं नामांतरण करने हेतु।

संदर्भ:– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा0चि0/8484 दिनांक 02.09.2019।

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा बांणसागर समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित टंकियों, एम0बी0आर0, क्लियर वाटर पम्पिंग मेन इत्यादि का निर्माण वनभूमि रकवा 115.39 हेक्टैयर में किया जाना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तित वनभूमि 115.39 हेक्टैयर के एवज में समतुल्य गैर वनभूमि रकवा 29.574 हेक्टैयर की जांच वन परिक्षेत्र अधिकारी उचेहरा/ उपवनमण्डल अधिकारी सतना से कराई गई है। जांच के दौरान उक्त गैर वनभूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई है तथा वन सीमा से लगी हुई है।

बांणसागर समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित टंकियों, एम0बी0आर0, क्लियर वाटर पम्पिंग मेन इत्यादि के निर्माण में व्यपवर्तित वनभूमि 115.39 हेक्टेयर के एवज में ग्राम उरई चुवा तहसील उचेहरा जिला सतना के खसरा क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6 का कुल रकवा 29.574 हेक्टैयर बांणसागर समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित टंकियों, एम0बी0आर0, क्लियर वाटर पम्पिंग मेन इत्यादि के निर्माण में व्यपवर्तित वनभूमि के एवज में ग्राम उरई चुवा तहसील उचेहरा जिला सतना के खसरा क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6 का कुल रकवा 29.574 हेक्टैयर गैर वनभूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। खसरावार रकवा का विवरण निम्नानुसार है:–

क0	खसरा कमांक	रकवा	ग्राम का नाम	तहसील
1	2	5.331	उरईचुवा	उचेहरा
2	3	1.520	उरईचुवा	उचेहरा
3	4	5.352	उरईचुवा	उचेहरा
4	5	13.754	उरईचुवा	उचेहरा
5	6	3.617	उरईचुवा	उचेहरा
योग	5	29.574		

वनसंरक्षक एवं
पदेन वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

पृष्ठांकन क्रमांक/मा0चि0/ सतना, दिनांक/ / /2019

प्रतिलिपि:–

1. उपवनमण्डल अधिकारी, उपवनमण्डल सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र उचेहरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। उक्त गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/नामांतरण होने के उपरान्त संयुक्त सीमांकन कराते हुए जी0पी0एस0 रीडिंग के अनुसार वनमानचित्र, राजस्व मानचित्र में चिन्हांकित कर आवेदक संस्थान से प्रभार में प्राप्त करें तथा प्रभार में प्राप्त किये जाने की कार्यवाही मय अभिलेख सहित इस कार्यालय प्रस्तुत करें।
3. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सतना की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उपरोक्त प्रकरणों में व्यपवर्तित वनभूमि के बदले ग्राम उरई चुवा तहसील उचेहरा जिला सतना के खसरा कमांक 2, 3, 4, 5, 6 का कुल रकवा 29.574 हेक्टैयर उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वनभूमि का हस्तांतरण/नामांतरण कलेक्टर जिला सतना से सम्पर्क कर पूर्ण करावें तथा उक्त गैर वनभूमि का संयुक्त सर्वे सीमांकन राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ पूर्ण कराकर प्रभार वन परिक्षेत्र अधिकारी उचेहरा को सौंपे जाने की कार्यवाही करायी जाय।
4. प्रबंधक मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सतना , मकान नं0 64, गली 1, लाइन नम्बर 3, विराटनगर सतना की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

आवक शाखा
कलेक्टर, सतना

वनसंरक्षक एवं
पदेन वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

E:\D.M 17-10-2013\Memo 2012, 2013, 2014, 2015\Memo 2019.doc708